न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 10680 / 2002 / सीकर

करण सिंह पुत्र उजीर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी बागास तहसील फतेहपुर जिला सीकर

.....अपीलार्थी

बनाम

1— लच्छू सिंह पुत्र नाथूसिंह,
2— प्यारेलाल पुत्र लखू,
3— श्रीराम पुत्र लखू,
4— मलकी पुत्री लखू,
5— सीता पुत्री लखू,
6— चुनकी पुत्री लखू,
7— भगवन्त सिंह पुत्र उजीर्ण सिंह,
8— जगदीश सिंह पुत्र उजीर्ण सिंह,
9— किशनसिंह पुत्र रतनसिंह,
10— खेतसिंह पुत्र रतनसिंह,
11— नंदसिंह पुत्र रतनसिंह,
12— प्यारू पुत्री रतनसिंह,
13— मंजू पुत्री रतनसिंह,
14— छोटी पुत्री रतनसिंह,
15— भंवरी पुत्री रतनसिंह,
16— गोपाल कंवर बेवा उजीर्ण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी बागास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित :—

श्री श्याम बाबू पारिक, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह व श्री समीर सिंह एवं श्री जी.एस. चारण, विद्वान अधिवक्तागण वास्ते प्रत्यर्थीगण।

निर्णय **दिनांक 13/7/23.**

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19—4—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी एवं उसके भाईयों ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या 1 लच्छूसिंह व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के पूर्वज लखू के व अन्य सह कृषकों के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर जिला सीकर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम बागास तहसील फतहपुर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 27 की 25 बीघा भूमि व 28 की 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने श्री लच्छू चमार को बिला हक 700/— रूपये में दिनांक 1/6/63 को विक्रय कर दी, जिसकी रूह से वह जबरन कब्जा करना चाहता है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां वाद किया, जिसे दिनांक 23/12/75 को वापिस करने के कारण यह राजस्व वाद किया। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 लखू चमार की मृत्यु हो गई। वादी ने जरिये प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि लच्छू की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिसकी जानकारी होने पर उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसके जवाब में प्रतिवादीगण ने कथन किया कि लखू की मृत्यु दिनांक 26—6—91 को हुई थी। उपखण्ड अधिकारी ने आदेश दिनांक 7—8—1995 द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कायम मुकाम मय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अबेट कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19—4—2002 द्वारा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3— विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। प्रतिवादी लखू की मृत्यु दिनांक 26—6—1991 को हो चुकी थी एवं दौराने वाद कार्यवाही दिनांक 7—9—1992 तक चलती रही तो इस दरमियान प्रतिवादी लखू के वारिसान अथवा प्रतिवादी संख्या 1 लच्छू सिंह एवं लखू के अभिभाषक का आदेश 22 नियम 10ए के अनुसार विचारण न्यायालय को सूचना देना अनिवार्य था। उनके सूचना न देने पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकाम व तोषी मियाद का प्रतिवादी की मालूमात से मान लेना का प्राकृतिक कयास होता है। विपक्षी द्वारा अपना कर्तव्य पूरा न करने के बावजूद विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए वाद का उपशमन करने में त्रुटि की है। आदेश 22 नियम 10ए सीपीसी के प्रावधान उसी प्रकार प्रभावी है, जिस प्रकार आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व अन्य नियम प्रभावी है। अपीलार्थी का स्थायी निवास बागास है, जबकि मृतक लखू ग्राम टेढी का निवासी था, जो बागास से 7 कोस दूरी पर स्थित है तथा उनकी जाति भी अलग—अलग होने से आपस में कोई आन—जान न था और स्वाभाविक था कि वादी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी अनपढ़ व अज्ञान व्यक्ति है, जिन्हें इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना था कि उन्हें मृत्यु की जानकारी न थी। विचारण न्यायालय ने उक्त अनुरूप अपना अधिकार समाहित न करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए वाद उपशमित किया है। मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात् मियाद उसी अनुसार लागू होती है। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को लचीला व्यवहार अपनाना चाहिये, किन्तु विचारण न्यायालय ने इसके विपरीत अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए वाद उपशमन किया है। प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को प्रतिवादी लखू की मृत्यु पूर्व से ही थी। अपीलीय न्यायालय ने भी उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी की द्वितीय अपील नियमों के विरूद्ध खारिज की है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

4— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि प्रतिवादी लखू की मृत्यु के 1 वर्ष 3 माह की अवधि के पश्चात् उसके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया गया। अपीलार्थी ग्राम टेढी का ही निवासी है तथा प्रस्तुत वाद में उन्होंने टेढी का ही निवासी बताया है। एक ही गांव में निवास करते हुए प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी उन्हें नहीं होना विश्वसनीय कथन नहीं है। अपीलार्थी को लखू की मृत्यु की जानकारी होते हुए भी अंदर मियाद लखू के वारिसानों को पत्रावली पर लेने की कार्यवाही नहीं की। अपील के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की मृत्यु हो चुकी थी। उनके वारिसानों को भी कायम मुकाम नहीं बनाया गया। अपीलार्थी की अपील भी अपीलीय न्यायालय में अबेट हो चुकी थी। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का यह भी कथन है कि मूल वाद का आधार पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में ऐसी कोई त्रुटि जाहिर नहीं है, जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। इसके अलावा अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि प्रस्तुत अपील कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए वाद abate किये जाने के आदेश के संबंध में है तथा इस प्रकार के आदेशों के विरूद्ध केवल मात्र प्रथम अपील ही उपलब्ध है तथा द्वितीय अपील का उपचार ऐसे प्रकरणों में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील पोषणीय ही नहीं है एवं पोषणीयता के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत मदन नायक वगैरह बनाम श्रीमति हंसुबाला देवी व अन्य, एआईआर 1983 सुप्रीम कोर्ट 676 की प्रति पेश की है।

5— उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वादी ने योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी

संख्या 2 लखू की मृत्यु हो गई, जिसके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र वादी द्वारा विलंब से प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी वादी द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनते हुए अपने आदेश दिनांक 7–8–1995 के जरिये कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए वादी का वाद उपशमन कर दिया, जिसकी वादी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई। वादी अपीलार्थी की यह प्रथम अपील दिनांक 19–4–2002 को संबंधित न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज की गई। अपने निर्णय में योग्य राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने यह भी अंकित किया है कि संबंधित राजस्व वाद में जो अनुतोष अपीलार्थी वादी ने चाहा है, वह राजस्व न्यायालय देने में सक्षम ही नहीं था तथा समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19–4–2002 से वादी अपीलार्थी की प्रथम अपील खारिज की गई, जिसके विरूद्ध वादी अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गई है। अपील की पोषणीयता के संबंध में विद्वान प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए यदि अपील abate की जाती है तो ऐसी स्थिति में वादी अपीलार्थी को द्वितीय अपील का उपचार उपलब्ध नहीं होगा। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि चूंकि प्रथम अपील न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अपील की डिक्री बनाई है, इसलिये प्रस्तुत प्रकरण में द्वितीय अपील पोषणीय होगी। इस संबंध में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *मदन नायक वगैरह बनाम श्रीमति हंसुबाला देवी व अन्य, एआईआर 1983 सुप्रीम कोर्ट 676* का ससम्मान अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्टतः अवधारित किया गया है कि abatement को गुणावगुण पर न्याय निर्णयन नहीं माना जा सकता। अतः ऐसे प्रकरणों में द्वितीय अपील नहीं हो सकती।

7– अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय में पेश किया गया कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मियाद

अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद का उपशमन किया गया है, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा प्रथम अपील की गई है तथा अपील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि वाद के उपशमन के मामले में द्वितीय अपील पोषणीय नहीं है। इस प्रकार वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील पोषणीय नहीं है। अतः पोषणीयता के अभाव में वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील पोषणीयता के अभाव में एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष